

५५

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक- पि०व०/2/ब० एवं आ०-17-01/2022-

96.

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रमंडलीय उप निदेशक,
भागलपुर प्रमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण,
बिहार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रमंडलीय उप निदेशक, भागलपुर प्रमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्यालय के संचालनार्थ वेतनादि मद में कुल राशि रु० 14,00,000/- (रु० चौदह लाख) मात्र का आवंटन।

पटना, दिनांक- 26/11/2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रमंडलीय उप निदेशक, भागलपुर प्रमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्यालय के संचालनार्थ 01.01-वेतन, 01.03- जीवन यापन भत्ता, 01.04-मकान किराया भत्ता मद में क्रमशः रु० 9,86,157/-, 3,06,609/- एवं 1,07,234/- अर्थात् कुल राशि रु० 14,00,000/- (रु० चौदह लाख) मात्र आवंटित की जाती है।

2-कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0003-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण-क्षेत्रीय कार्यालय, विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-001-0003 के विषय शीर्ष 01.01 वेतन, 01.03 जीवन यापन भत्ता एवं 01.04 मकान किराया भत्ता इकाई के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3-इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रमंडलीय उप निदेशक, भागलपुर प्रमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण होंगे।

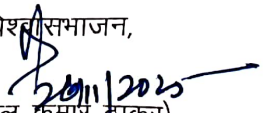
4-आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6-प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7- इसकी सूचना महालेखाकार, पटना को दिया जा रहा है।

विश्वजीसभाजन,


(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O



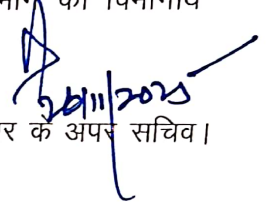
ज्ञापांक- पि०व०/2/ब० एवं आ०-17-01/2022- 96, पटना, दिनांक- 26/11/2025
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ जिला
पदाधिकारी, भागलपुर/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

(4) उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।